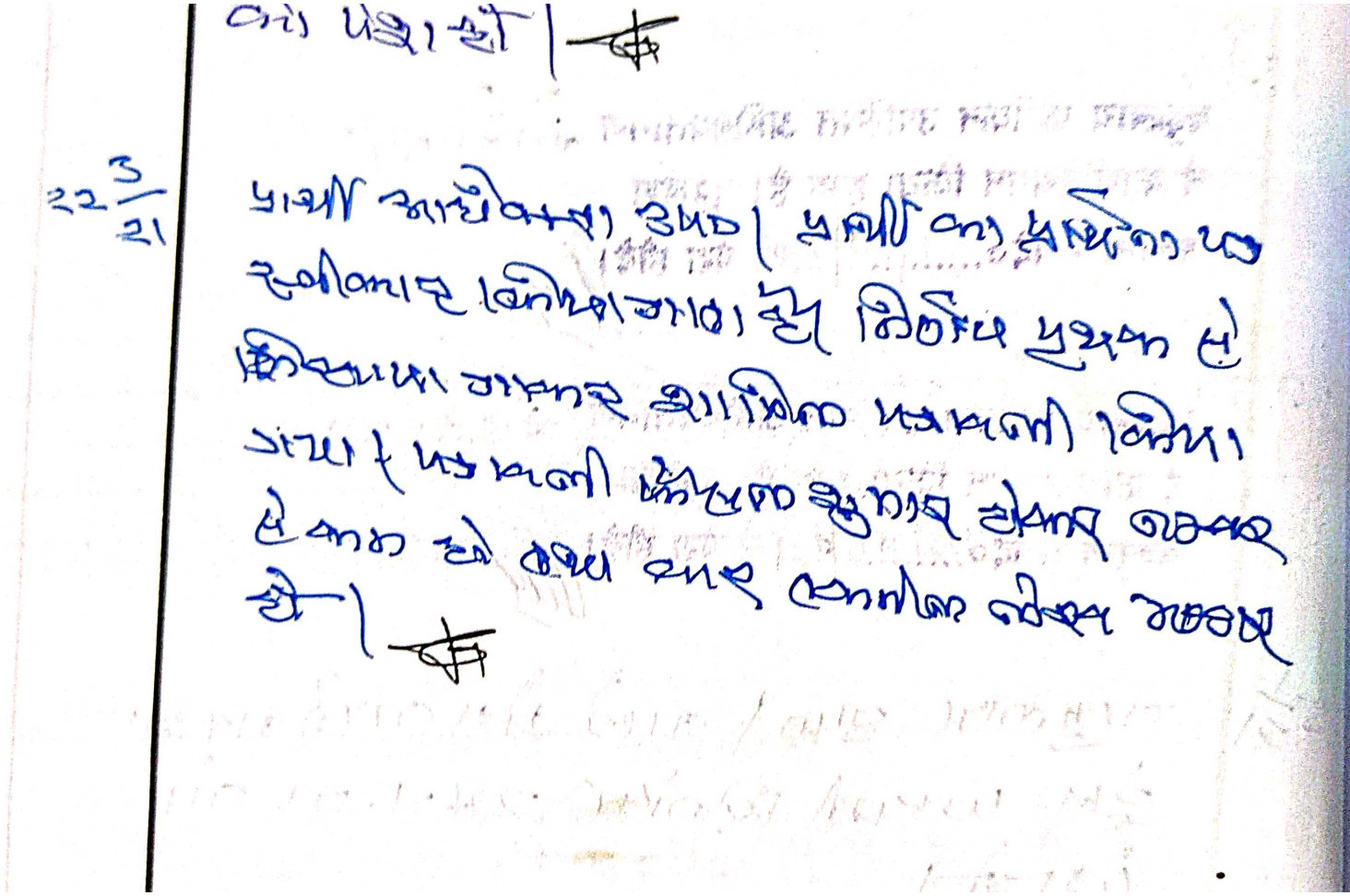

को पेश हो। [signature]

22/3/21 प्रार्थी आवेदनकर्ता उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर निर्णय पुस्तक से किस्मनामा नामजद शामिल मसावी किया जावे। मसावी [illegible] अनुसार [illegible] [illegible] से काट हो तथा [illegible] [illegible] [illegible] हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा RAS

प्रकरण संख्या 55/2018 — दायरा दिनांक 30-7-2018 — निर्णय दिनांक 22.03.21

अनुवान

[1] अमरसिंह पुत्र सूरजमल
[2] राजकुमार पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी ग्राम देवसीका तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- प्रार्थीगण

बनाम

[1] राजसिंह
[2] दिलिराज
[3] नरेश
[4] सुरेश पुत्रान मामचन्द जाति जाटव निवासी देवसीका तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[5] श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम

- असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं.धा. 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित -
[1] श्री रणवीर सिंह यादव अभिभाषक प्रार्थीगण
[2] श्री जगत सिंह चौधरी अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 लगा. 4

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अं.धा. 111 व 128 भूराजस्व अधिनियम 1956 का इस आशय का पेश किया कि [illegible] खसरा नं. 2081 0.0600 हैक्टेयर वाकै ग्राम देवसीका तहसील [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] जो प्रार्थीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है। जिन प्रार्थीगणों की विवादित आराजी को लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:22 IST
Reason: SelfAttested

तरफ उत्तर दिशा में आबादी, तरफ पश्चिम दिशा में आबादी, तरफ पूर्व दिशा में सरकारी स्कूल व तरफ दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण 1 लगा. 4 की आराजी ख.नं. 230 लगती हुई है। असल अप्रार्थीगण मुकदमे [illegible] नाके पत्थर नहीं लगी है। स्थिति के खिलाफ है जो कानून कागजों की प्रार्थीगण की आराजी की डोल को। असल अप्रार्थीगण आये रोज बिना कारण मिन प्रार्थीगण के विवादित आराजी को खिसकाकर करते रहते हैं। दिनांक 7.8.2018 को श्रीमान तहसीलदार साहब कोटखावदा के आदेश क्रमांक 38 दिनांक 5.8.2018 की पालना में हल्का पटवारी से करवाई गई है। मौका पर्चा संलग्न पत्रावली है। जब अप्रार्थीगण से मुताबिक पैमाइश पत्थरगढ़ी लगाने को कहा तो तो साफ इन्कार हो गये और कहा कि मौका पर्चा अनुसार पत्थरगढ़ी नहीं होने देंगे। इसलिए श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 की ओर से श्री मनोज सिंह चौधरी एड. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 5.8.19 को जवाब बंद किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 26.2.21 को जवाब बंद किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि मिन प्रार्थीगण की दक्षिण दिशा से लगती हुई अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 की आराजी है जो आये रोज मिन प्रार्थीगण की डोल को खिसकाकर करते रहते हैं। [illegible] राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 6.7.18 को [illegible] प्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 सब पैमाइश कर पत्थरगढ़ी [illegible] नहीं हुई और कहा कि मुताबिक पैमाइश पत्थरगढ़ी नहीं होने देंगे। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी के लगवावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश फरमाने की सादर आज्ञा प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मौका पर्चा दिनांक 6.7.18 का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी की पुनः पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे। प्रार्थिया द्वारा पैमाइश से संतुष्ट नहीं है पुनः करवाना चाहती है। पैमाइश रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी नहीं हैं इसलिए पुनः पैमाइश कर पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि दोनों-पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी ख.नं. 208/0.0600 हेक्टेयर वाके ग्राम देवसीका तहसील कोटकासिम की पुनः पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:40:22 IST
Reason: SelfAttested